



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264895
CG-DL-E-22072025-264895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3296]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947

No. 3296]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

कोयला मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

का.आ. 3369(अ).— केंद्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है;

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अंतर्विष्ट ब्यौरे, रेखांक धारक संख्या ईसीएल/नए कोयला ब्लॉक – दुमका/2025/32, तारीख 18 फरवरी, 2025 का निरीक्षण निदेशक, तकनीकी (योजना और परियोजना), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, डाकघर – डिसेरगढ़, जिला पश्चिम बर्द्धमान 713333, पश्चिम बंगाल के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, राँची 834008, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, दुमका, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति –

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, निदेशक तकनीकी (योजना और परियोजना), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, डाकघर डिसेरगढ़, जिला पश्चिम बर्द्धमान 713333, पश्चिम बंगाल को भेज सकेगा।

अनुसूची

कोयला खनन ब्लॉक का नाम – अमराकुंडा मुर्गादंगल

(जिला दुमका, राज्य झारखंड)

[रेखांक धारक संख्या ईसीएल/नए कोयला ब्लॉक – दुमका/2025/32, तारीख 18 फरवरी, 2025]

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का / थाना संख्या	तहसील	जिला	हेक्टर में क्षेत्रफल (लगभग)	टिप्पणियाँ
1.	फुलशहरी	02/0009	शिकारीपारा	दुमका	37.767	समग्र अधिकार
2.	लखनमारा	02/0011	शिकारीपारा	दुमका	0.192	समग्र अधिकार
3.	हिरापुर-चित्रकुंडी	02/0013	शिकारीपारा	दुमका	198.860	समग्र अधिकार
4.	मुर्गाबनी	02/0014	शिकारीपारा	दुमका	57.844	समग्र अधिकार
5.	सातपकड़ीया	02/0015	शिकारीपारा	दुमका	132.840	समग्र अधिकार
6.	अमराकुंडा	02/0016	शिकारीपारा	दुमका	64.711	समग्र अधिकार
7.	लिटियापहार	02/0017	शिकारीपारा	दुमका	28.801	समग्र अधिकार
8.	कालिचुआ	02/0032	शिकारीपारा	दुमका	84.112	समग्र अधिकार
9.	दलदली	02/0033	शिकारीपारा	दुमका	113.911	समग्र अधिकार
10.	धोबाघाटी	02/0034	शिकारीपारा	दुमका	29.268	समग्र अधिकार
11.	कटपहाड़ी	02/0036	शिकारीपारा	दुमका	19.469	समग्र अधिकार
कुल क्षेत्र: 767.775 हेक्टर (लगभग) या 1896.403 एकड़ (लगभग)						

सीमा वर्णन:

अधिग्रहित किए जाने वाले भूखंड, यथा रेखांक धारक संख्या ईसीएल/नए कोयला ब्लॉक– दुमका/2025/32, तारीख 18 फरवरी, 2025 में उल्लिखित है, बहुभुज A, B, C, D, E, F, A के भीतर स्थित हैं, भूखंड मौजा फुलशहरी, लखनमारा, हिरापुर-चित्रकुंडी, मुर्गाबनी, सातपकड़ीया, अमराकुंडा, लिटियापहार, कालिचुआ, दलदली, धोबाघाटी और कटपहाड़ी के भीतर थाना-शिकारीपारा, जिला दुमका, राज्य झारखंड के अंतर्गत स्थित हैं।

उपर्युक्त बहुभुजों का वर्णन नीचे किया गया है:

बहुभुज–A, B, C, D, E, F, A:

रेखाA-B: यह रेखा बिन्दु A, कोल् ब्लॉक के उत्तर दिशा मौजा लिटियापहार से प्रारम्भ होती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ बिन्दु B, मौजा फुलशहरी तक जाती है।

रेखाB-C: यह रेखा, बिन्दु B, कोल् ब्लॉक के पश्चिम दिशा मौजा फुलशहरी से प्रारम्भ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ बिन्दु C, मौजा हिरापुर-चित्रकुंडी तक जाती है।

रेखाC-D: यह रेखा, बिन्दु C, कोल् ब्लॉक के दक्षिण-पश्चिम दिशा मौजा हिरापुर-चित्रकुंडीसे प्रारम्भ होती है और दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ बिन्दु D, मौजा धोबाघाटी तक जाती है।

रेखाD-E: सरल रेखा, बिन्दु D, कोल् ब्लॉक के दक्षिण दिशा मौजाधोबाघाटी से प्रारम्भ होती है और उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ बिन्दु E, मौजा धोकोट पहाड़ी तक जाती है।

रेखाE-F: सरल रेखा, बिन्दु E, कोल् ब्लॉक के दक्षिण-पूर्व दिशा मौजा कटपहाड़ी से प्रारम्भ होती है और उत्तर-पश्चिम दिशा कीतरफ बिन्दु F, मौजा लिटियापहार तक जाती है।

रेखाF-A: सरल रेखा, बिन्दु F, कोल् ब्लॉक के पूर्व दिशा मौजा लिटियापहार से प्रारम्भ होती है और उत्तर दिशा कीतरफ बिन्दु A, मौजा लिटियापहार तक जाती है।

[फा. सं. 43015/1/2019-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2025

S.O. 3369(E).— whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number ECL/New Coal Blocks – Dumka/2025/32, dated the 18th February ,2025 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Director Technical (P&P), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Disergarh, District Paschim Bardhaman 713333, West Bengal or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi 834008, Jharkhand or at the office of Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or at the office of the District Collector, Dumka, Jharkhand.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the said Schedule may –

- claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
- claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of subsection (1) of section 13 of the said Act,

to the officer of the Director Technical (Project and Planning), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Disergarh, District Paschim Bardhaman 713333, West Bengal within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Name of the Coal Mining Block –Amarkonda Murgadangal

(District Dumka, State Jharkhand)

[Plan bearing number ECL/New Coal Blocks – Dumka/2025/32, dated the 18th February 2025]

Sl. No	Name of village	Patwari Circle number/ Thana number	Tahsil	District	Area in hectares (approximately)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Fulsahri	02/0009	Shikaripara	Dumka	37.767	All Rights
2.	Lakhanmara	02/0011	Shikaripara	Dumka	0.192	All Rights

3.	Hirapur-Chitrakundi	02/0013	Shikaripara	Dumka	198.860	All Rights
4.	Murgabani	02/0014	Shikaripara	Dumka	57.844	All Rights
5.	Satpakaria	02/0015	Shikaripara	Dumka	132.840	All Rights
6.	Amrakunda	02/0016	Shikaripara	Dumka	64.711	All Rights
7.	Latiapahar	02/0017	Shikaripara	Dumka	28.801	All Rights
8.	Kalichua	02/0032	Shikaripara	Dumka	84.112	All Rights
9.	Daldali	02/0033	Shikaripara	Dumka	113.911	All Rights
10.	Dhobaghati	02/0034	Shikaripara	Dumka	29.268	All Rights
11.	Katpahari	02/0036	Shikaripara	Dumka	19.469	All Rights
Tota area: 767.775 hectares (approximately) or 1896.403 acres (approximately)						

Boundary description:

The plots to be acquired lie within the polygons A, B, C, D, E, F, A as mentioned in the plan number- ECL/New Coal Blocks – Dumka/2025/32, dated the 18th February, 2025, the plots lie within mouzas Fulsahri, Lakhanmara, Hirapur-Chitrakundi, Murgabani, Satpakria, Amrakunda, Litiapahar, Kalichua, Daldali, Dhobaghati & Katpahari under P.S-Shikaripara, District - Dumka, State – Jharkhand.

Aforesaid polygon is described below:

Polygon –A, B, C, D, E, F, A:

Line A-B: The line starts at point A in the North corner of the coal block from Litiapaharmouza tends in South-West direction reaches at point B in Fulsahrimouza.

Line B-C: The line starts at point B in the West corner of the coal block in Fulsahrimouza tends in South East direction reaches at point C in Hirapur-Chitrakundimouza.

Line C-D: The line starts at point C in the South-West corner of the coal block in Hirapur-Chitrakundimouza tends in South-East direction reaches at point D in Dhobaghatimouza.

Line D-E: The straight line starts at point D in the South corner of the coal block from Dhobaghatimouza tends in North-East direction reaches at point E in Katpaharimouza.

Line E-F: The straight line starts at point E in the South East corner of the coal block in Katpaharimouza tends in North-West direction reaches at point F in Litiapaharmouza.

Line F-A: The line starts at point F in the East corner of the coal block in Litiapaharmouza tends in North direction reaches at point A in Litiapaharmouza.

[F. No. 43015/1/2019-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.